परि

उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम अनुभाग–3
संख्या– 1216 /36–3–2010
लखनऊ:: दिनांक:: 03 अगस्त, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु संचालित कार्यक्रमों के कियान्वयन एवं राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत जनपदों में संचालित बाल श्रम परियोजनाओं के अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा आवश्यकतानुसार उन्हें गतिशील बनाये जाने हेतु निर्देश देने हेतु श्री राज्यपाल "राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन)", हेतु गठित शासनादेश सं0–1116/36–3–2007 दिनांक 10.08.2007 में तत्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग ।	– अध्यक्ष
(2)	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों।	– सदस्य
(3)	सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों।	– सदस्य
(4)	सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों।	– सदस्य
(5)	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों।	– सदस्य
(6)	सचिव, समाज कल्याण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों।	– सदस्य
(7)	सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों।	– सदस्य
(8)	सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अथवा उनके प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से कम न हों।	– सदस्य
(9)	राज्य परियोजना निदेशक ,सर्वशिक्षा अभियान विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो अपर निदेशक स्तर से कम न हो ।	– सदस्य
(10)	विशेष सचिव, न्याय विभाग।	सदस्य
(11)	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,उ0प्र0।	– सदस्य
(12)	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।	– सदस्य
(13)	समस्त संबंधित जिलाधिकारी(राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जनपद)।	– सदस्य
(14)	नियोजकों के 02 प्रतिनिधि, (श्रम आयुक्त ,उ0प्र0 द्वारा नामित)।	– सदस्य

Scanned with CamScanner

(15)	श्रम संघों के 02 प्रतिनिधि, (श्रम आयुक्त ,उ0प्र0 द्वारा नामित)।	— सदस्य
(16)	राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि ।	— सदस्य
(17)	प्रमुख गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के 02 प्रतिनिधि, (श्रम आयुक्त ,उ0प्र0 द्वारा नामित) ।	— सदस्य
(18)	यूनीसेफ, उ0प्र0 के प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि।	— सदस्य

2— राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति, बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर अनुश्रवण करेगी।

3— जनपद स्तर पर संचालित परियोजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन स्तर पर अपेक्षित अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर निर्देश निर्गत करायेगी, ताकि उद्देश्यों के अनुरूप जनपद स्तर पर सहयोगी विभागों से अपेक्षित सहयोग व समन्वय प्राप्त हो सके ।

4— समिति इन परियोजनाओं के बेहतर संचालन के सम्बन्ध में समय–समय पर यथोचित सुझाव /निर्देश भी जारी करेगी ।

5— समिति की बैठक यथा सम्भव प्रत्येक 03 माह में एक बार होगी। समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार इससे अधिक भी बैठकें आहूत कर सकते हैं।

डा0आर0सी0श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1616 (1)/36—3—2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समिति के समस्त सदस्यगण ।
2— श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3— समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, (द्वारा श्रमायुक्त,उ0प्र0,कानपुर)।
4— समस्त अपर/उपश्रमायुक्त, (द्वारा श्रमायुक्त,उ0प्र0,कानपुर)।
5— सचिव,भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner